(2)

अति–आवश्यक

राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(263) ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/उपापन/2015–16/ E.O. No.- 92275 जयपुर, दिनांकः 13-04-2017

स्थायी आदेश संख्या–32/2017

विभागीय परिपत्र क्रमाक एफ– 27 (79) ग्रावि/अनु.5/जीकेएन/प्रशा.अनु.स./2014 दिनांक 17.9.2014 के परिशिष्ट 3 में वर्णित तकनीकी स्वीकृतीं जारी करने की सीमा एवं परिशिष्ट 5 के बिन्दु संख्या 3 में वर्णित उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बंध में निम्नानुसार संशोधित निर्देश जारी किये जाते है :–

परिशिष्ट 3 :–

स्वीकृतिकर्ता अधिकारी/समिति जिसको शक्तियां निहित है	शक्तियों की वित्तीय सीमा (राशि रूपयो में), मरम्मत/रखरखाव		
	पूर्व में जारी निर्देशानुसार		संशोधित निर्देश
	नवीन कार्य	मरम्मत/रखरखाव	मरम्मत/रखरखाव
कनिष्ठ तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता	5 लाख तक	50 हजार तक	1 लाख तक
सहायक अभियन्ता पं.स./जि.प.	15.00 लाख तक	1.00 लाख तक	2 लाख तक
अधिशाषी अभियन्ता पं.स.//जि.प.	50.00 लाख तक	3 लाख तक	5 लाख तक
जिला दर निर्धारण समिति के अनुमोदन उपरान्त अधिशाषी अभियन्ता (अभि.) एवं सदस्य सचिव, जि.द.नि.स. जिला परिषद	–	–	5 लाख से अधिक परन्तु 50 लाख से कम लागत के कार्य

परिशिष्ट 5:–

विवरण	पूर्व में जारी निर्देश	संशोधित निर्देश
उपयोगगिता एवं पूर्णताः प्रमाण पत्र जारी करना	सम्पूर्ण कार्य पूर्ण होने के पश्चात पूर्ण राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र सम्बंधित तकनीकी स्वीकृति/संशोधित तकनीकी स्वीकृति जारी करने वाले सक्षम अधिकारी के उच्चतर प्राधिकारी द्वारा पूर्ण संतुष्टि एंव कार्य साईट का पूर्ण निरीक्षण करने के बाद जारी किया जायेगा एंव इस आशय का निरीक्षण का दिनांक सहित विवरण देते हुए प्रमाणित किया जावेगा।	महात्मा गांधी नरेगा योजना में व्यक्तिगत लाभ श्रेणी के सभी कार्यो एवं अन्य विभागीय योजनाओ में (हैण्डपम्प, ट्यूबवेल के कार्यो को छोडकर) 1 लाख तक स्वीकृत राशि के निर्माण कार्यो के पूर्णता प्रमाण–पत्र कनिष्ठ तकनीकी सहायक /कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा जारी किये जा सकेंगे। हैण्डपम्प, ट्यूबवेल के कार्य एवं 1 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यो के पूर्णता प्रमाण–पत्र शिड्यूल ऑफ पावर्स के प्रावधानों के अनुसार ही यथावत जारी किये जावेंगे। शेष प्रावधान शिड्यूल ऑफ पावर्स के अनुसार यथावत रहेंगे।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

13.4.2017
(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि., राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
5. निजी सचिव, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, वित्त, आयोजना, वन, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग/ग्रा.वि.एवंपंचा.राज.विभाग/ सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग,, जल संसाधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव आयुक्त, ईजीएस, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, जयपुर।
4. जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस), समस्त, राजस्थान।
5. प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, जयपुर।
8. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।
9. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव/वित्तीय सलाहकार/ अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियंता, ग्रावि एवं पंरावि/ईजीएस/जलग्रहण एवं भू–सरंक्षण विभाग
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
11. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
12. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम/द्वितीय, जिला परिषद समस्त।
13. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो.एवं मू.) ग्रा.वि. को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड कराने हेतु।
14. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस/अभियान्त्रिकी/जलग्रहण एवं भू–सरंक्षण विभाग, जि.प. समस्त राजस्थान।
15. विकास अधिकारी, पं.स. समस्त, राज. को प्रेषित कर निर्देश है कि इस आदेश की प्रति प्रत्येक ग्रा.पं., ग्राम सेवक एवं प्रत्येक सहायक/कनिष्ठ अभियंता तथा अन्य संबंधित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि